श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 18 अगस्त, 1984

सं. औ.वि./रोह/191-84/31168.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. लक्ष्मी प्रीसिजन स्क्रुयुज लि० हेसार रोड, रोहतक के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, उक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला/मामले है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

1, क्या श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल वैधानिक है या नहीं ? यदि हां तो किस विवरण में ?

2. क्या श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल के दिनों का वेतन लेने के हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

3. (क) क्या सर्वश्री राज कुमार पुत्र श्री मान सिंह, सुरिन्दर कुमार, राज कुमार, पुत्र श्री राम सिंह, धर्मपाल, चमनजीत सिंह, अवेह राम, सुखविन्द्र, गोंधवीर तथा जोगिन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन विधिपूर्वक है या नहीं यदि नहीं, तो वे किस राहत के हकदार है ?

(ख) क्या सर्वश्री अशोक तथा जैवीर सिंह के निलम्बन करने की कारवाई उचित है या नहीं ? यदि नहीं, तो वे किस राहत के हकदार है ?

सं० औ.वि./रोह/191-84/31183.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै. नवभारत इन्डस्ट्रीज, हिसार रोड, रोहतक के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, उक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामले/मामला है/हैं, न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल वैधानिक हैं या नहीं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

2. क्या श्रमिक हड़ताल के दिनों का वेतन लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

3. (क) क्या सर्व श्री श्याम सुन्दर, बलवान सिंह, राजवीर सिंह तथा बलवान सिंह पंचाल की सेवा समापन विधि पूर्वक है या नहीं ? यदि नहीं, तो वे किस राहत के हकदार हैं ?

(ख) क्या सर्वश्री के० एल० दुआ, होशियार सिंह, तथा मांगे राम की निलम्बन की कारवाई उचित है या नहीं ? यदि नहीं, तो वे किस राहत के हकदार हैं ?

एम० सेठ,

वित्तायुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग